राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

रजि. कार्यालयः गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
फोन नः 0141–2228063, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल : edf-rmsc-rj@nic.in
CIN: U24232RJ2011SGC035067 Website : www.rmsc.nic.in

क्रमांक : एफ.6( )/आरएमएससी/लोजि./2014–15/ 165 दिनांक : 10.12.2014

निविदा सूचना

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन के नियंत्रणाधीन संभाग स्तरीय जिला औषधि भण्डार गृहों के ISO Certification का कार्य करवाया जाना है। इस हेतु राजकीय चिकित्सा संस्थानों, औषधि भण्डार, Clinical लेबोरेट्रीज आदि को ISO Certification दिलवाने संबधी कार्य का अनुभव रखने वाली फर्मो/संस्थाओं से सीलबन्द लिफाफे में तकनीकी एवं वित्तीय निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र एवं शर्ते आरएमएससी कार्यालय परिसर से दिनांक 26.12.2014 दोपहर 3.00 बजे तक निर्धारित निविदा प्रपत्र शुल्क ₹ 500/–(केवल प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, जयपुर के नाम डीडी/बैंकर चैक) प्रस्तुत कर प्राप्त एवं जमा किए जा सकते हैं । निविदा प्रपत्र निगम की वेब–साईट http://www.rmsc.nic.in/ से भी डाउनलोड किया जा सकता है । निविदा प्रपत्र के साथ शुल्क राशि ₹ 500/– का डीडी/बैंकर चैक संलग्न किया जाना आवश्यक है अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जाएगी । प्राप्त निविदाएँ **दिनांक** 26.12.2014 **सांय 5.00 बजे उपस्थित** निविदादाताओं के समक्ष खोली जाएगी। जिला औषधि भण्डार गृहों के बारे में विस्तृत जानकारी कार्यालय समय (प्रातः 9.30 से सांय 6.00 बजे तक) में कार्यकारी निदेशक (लॉजिस्टिक) से प्राप्त की जा सकती है।

कार्यकारी निदेशक (लॉजिस्टिक)

संभाग स्तरीय जिला औषधि भण्डार गृहों को ISO Certification दिलवाने हेतु निविदा की शर्तें एवं नियम

निविदादाता को निम्नलिखित शर्तो को सावधानी पूर्वक पढना चाहिए एवं अपनी निविदा भरते समय पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए :–

(अ) निविदादाता की पात्रता (Eligiblity Criteria) जो अनिवार्य है एवं जिनके अभाव में निविदा निरस्त मानी जा सकेगी, निम्नलिखित है:–

1. निविदादाता फर्म/संस्था, सोसाइटी/कम्पनीज्/लेबर एक्ट अथवा अन्य कोई ऐसा एक्ट जहां सेवाप्रदाता संस्थाओं का पंजीकरण होता है, वहां पंजीकृत होनी चाहिए तथा निविदा प्रपत्र के साथ पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न की जानी अनिवार्य है।
2. निविदादाता फर्म को राजकीय चिकित्सा संस्थानों, औषधि भण्डार, Clinical लेबोरेट्रीज आदि के ISO Certification दिलवाने संबंधी कार्य की समस्त प्रक्रिया पूर्ण करवाने हेतु संस्था को clinical audit, quality management, ISO Certification/ NABH etc. का तीन वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। साथ ही संस्था द्वारा कम से कम तीन राजकीय चिकित्सा संस्थानों, औषधि भण्डार, Clinical लेबोरेट्रीज को ISO Certification दिलवाने (Facilitate) संबंधी कार्य का प्रमाण पत्र भी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
3. निविदादाता फर्म का गत तीन वर्ष की अवधि में कम से कम औसत ₹ 3.00 लाख प्रति वर्ष का टर्न ओवर होना आवश्यक है। पुष्टि के लिए गत तीन वर्ष के टर्न ओवर का चार्टेड अकाउन्टेन्ट (सनदी लेखाकार) का प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
4. निविदादाता को बोली प्रतिभूति (Bid security) के रूप में 6,000.00 (अक्षरे ₹ छः हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक जो प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन, जयपुर के नाम हो, निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
5. निविदादाता को ISO Certification का कार्य करने हेतु संबंधित योग्यता अथवा प्रशिक्षित विशेषज्ञों/कार्मिकों की सूची निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

ISO Certification कार्य करने के संबंध में प्राप्त सभी निविदादाताओं की तकनीकी निविदाओं का मूल्यांकन निम्न बिन्दुओं के आधार पर किया जायेगा–

S. no.	Evaluation Criteria for Technical Bids	Total Points (100)
1	संस्था/फर्म का पंजीयन	5
2	फर्म को राजकीय चिकित्सा संस्थानों, औषधि भण्डार, Clinical लेबोरेट्रीज आदि के ISO Certification/NABH/NABL दिलवाने का अनुभव। (प्रत्येक श्रेणी के अधिकतम 5 अंक)	15
3	संस्था द्वारा कम से कम 03 राजकीय चिकित्सा संस्थानों, औषधि भण्डार, Clinical लेबोरेट्रीज को ISO Certification/NABH/ NABLदिलवाने (Facilitate) संबंधी कार्य का प्रमाण पत्र। (प्रत्येक का 10 अंक एवं अधिकतम 30 अंक)	30
4	फर्म का गत तीन वर्ष की अवधि में कम से कम औसत ₹ 3.00 लाख प्रति वर्ष का टर्न ओवर। (प्रत्येक वर्ष का 5 अंक)	15
5	Team leader अथवा Principal Investigator का ISO Certification/NABH/Quality Management के संबंध में योग्यता अथवा प्रशिक्षण । (अधिकतम 10 अंक)।	10
6	Team leader के अतिरिक्त अन्य कार्मिकों की सूची (Medical Officer/MBA or MPH or P.G. diploma in health/Pharmacist) (प्रत्येक श्रेणी के अधिकतम 5 अंक)	15
7	Adequacy of the proposed work plan & methodology. (a) Work plan- अधिकतम 5 अंक (b) Methodology- अधिकतम 5 अंक	10

उक्त तालिका में वर्णित बिन्दुओं के आधार पर प्राप्त तकनीकी निविदाओं का मूल्यांकन किया जायेगा एवं जिन संस्थाओं/फर्म को 75 या इस से अधिक अंक प्राप्त होंगे, वही निविदादाता ही तकनीकी निविदा (प्रि–क्वालीफिकेशन) में सफल माने जाएँगे तथा उन्ही की वित्तीय निविदा खोली जाएगी। तकनीकी निविदा (प्रि–क्वालीफिकेशन) मे 75 से कम अंक वाले निविदादाताओं को असफल होने के कारण उन निविदादाताओं की वित्तीय निविदा नहीं खोली जा सकेगी।

Kllyas

(ब) निविदा लिफाफे एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने का तरीका :–

1. निविदादाता द्वारा निविदाएँ दो अलग– अलग लिफाफों में प्रस्तुत की जाएगी। प्रथम लिफाफा **प्रपत्र 'अ' तकनीकी निविदा (प्रि–क्वालीफिकेशन)** तथा दूसरा लिफाफा **प्रपत्र 'ब' वित्तीय निविदा** के लिए होगा।
2. निविदादाता को निविदा सूचना में दिऐ गऐ निर्देशों के अनुसार उचित लिफाफे मे निविदा प्रस्तुत करनी होगी तथा लिफाफों के ऊपर तकनीकी निविदा या वित्तीय निविदा स्पष्ट रूप से उल्लेखित करनी होगी।
3. प्रथम लिफाफे मे निम्न प्रपत्र रखे जाएँगे :–

   प्रपत्र 'अ' तकनीकी निविदा।

   (I) निविदाशुल्क राशि रूपये 500 का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक

   (II) बोली प्रतिभूति ₹ 6,000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक।
   (बोली प्रतिभूति के अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा)

   (III) ISO Certification/NABH/ NABL दिलवाने संबंधी कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र।

   (IV) टर्न ओवर का चार्टेड अकाउन्टेन्ट (सनदी लेखाकार) का प्रमाण पत्र या अन्य संबंधित साक्ष्य।

   (V) मूल निविदा प्रपत्र एवं शर्ते **परिशिष्ट–ए** जिसके प्रत्येक पेज पर निविदादाता के हस्ताक्षर हो।

   (VI) फर्म/संस्था के पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।

   (VII) PAN , TAN एवं Service Tax number की प्रतियाँ।

   (VIII) ISO Certification कार्य हेतु विशेषज्ञ, परामर्शदाता, कार्मिकों की सूची।
4. दूसरे लिफाफे में केवल **वित्तीय निविदा (प्रपत्र 'ब')** होगी जिसमे निविदादाता को अपनी दर (कर राशि पृथक् से दिखाते हुए) अंको एवं शब्दो में स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी। शब्दों एवं अंकों में उल्लेखित राशि में अन्तर होने पर दोनो में से जो राशि कम होगी उस पर विचार किया जाएगा।
5. दोनो लिफाफे एक बड़े तीसरे लिफाफे मे बन्द कर प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन, जयपुर के कार्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय तक प्रस्तुत/प्रेषित करने होंगे। लिफाफे के ऊपर **"संभाग स्तरीय जिला औषधि भण्डार गृहों (परिशिष्ट–ब) को ISO Certification दिलवाने हेतु निविदा"** स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए।

(स) कार्य सम्बन्धित विवरण :–

1. निविदादाता को ISO Certification दिलवाने हेतु जिला औषधि भंडार पर समस्त प्रकिया पूर्ण करने के लिए निम्नलिखित कार्य किए जाने है:–

Steps for certification (ISO)-

A. Identification of infrastructural/resources gaps in District Drug Warehouses.

B. Facilitate concerned authorities to bridge the gaps (the cost of fulfilling the gap will have to be borne by the RMSC and will not be in the scope of the financial proposal).

C. Identify operational gaps and facilitate on-site training to staff for fulfilling these gaps.

D. Facilitate District Drug Warehouses (DDWs) to apply for ISO certification in the concerned body (organization which provides ISO certification) and help in getting the ISO certification.

The process for facilitating the same would be-

(1) The agency will prepare a checklist to identify Infrastructural/resources and operational gaps & will share the checklist with RMSC for necessary suggestions.

(2) After incorporating the suggestions received from RMSC, checklist will be pre-tested at Jaipur and corrections if any to the checklist or the modus operandi of gap analysis will be done.

(3) The team will then be sent with this checklist to all units to indentify the gaps under the categories of (a) infrastructure/resources (b) manpower requirements (c) operations.

(4) Compilation of all the gaps, if any indentified during field visit. Gaps found under (a) and (b) will be submitted to the RMSC for corrections. (The cost of fulfilling the gaps will have to be borne by the RMSC and will not be in the scope of the financial proposal). The agency will facilitate to streamline the activities.

(5) A team will be deployed at DDW to train DDW staff for identifying the areas for improvements/gap analysis through checklist including various aspects related to infrastructure, resources, process and quality.

(6) The operational/process gaps will be identified by the agency and on-site training will be given to the concerned staff. Standard Operating Procedures (SOPs) will also be developed and provided wherever required to DDWs.

(7) Facilitate District Drug Warehouses (DDWs) to apply for ISO certification in the concerned body (organization which provides ISO certification) and help in getting the ISO certification.

(द) सामान्य नियम एवं शर्तेः–

1. अनुबन्ध की अवधि कार्यादेश स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगी। निविदादाता का कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से अनुबन्ध अवधि 03 माह के लिए बढाई जा सकती है।
2. दर अनुमोदन होने पर राशि ₹ 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर 03 दिवस की अवधि में अनुबन्ध प्रस्तुत करना होगा जिसका समस्त व्यय अनुबन्धकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। सफल निविदादाता को अनुबन्ध की राशि की 5 प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) के रूप में डी.डी./बैंकर चैक प्रस्तुत करना होगा। बोली प्रतिभूति (Bid Security) राशि को कार्य संपादन प्रतिभूति (Performance Security) में समायोजित किया जा सकेगा।
3. इस कार्य हेतु अनुबन्धकर्ता स्वयं के खर्च पर जिला औषधि भण्डार गृहों की यात्रा करेगा तथा ISO Certification दिलवाने संबंधी समस्त प्रक्रिया से संबंधित जिला औषधि भण्डार गृह के प्रभारी अधिकारी को अवगत कराएगा।
4. अनुबन्धकर्ता को अनुबन्ध का संचालन स्वयं को ही करना होगा। वह किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को ISO Certification दिलवाने संबंधी प्रक्रिया अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यो को सबलेट ISO Certification जारी करने वाली संस्था से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के अतिरिक्त) नहीं करेगा। सबलेट करने की स्थिति में अनुबन्ध तुरन्त प्रभाव से समाप्त माना जाएगा।
5. अनुबन्धकर्ता द्वारा ISO Certification कार्य हेतु विशेषज्ञ, परामर्शदाता, कार्मिकों की सूची आदि आरएमएससी मुख्यालय को प्रस्तुत करेगा।
6. अनुबन्धकर्ता द्वारा कार्य बीच में छोड़ने पर या उसका कार्य संतोषप्रद नही होने की स्थिति में अनुबन्धकर्ता को स्वीकृत अनुबन्ध निरस्त कर कार्य संपादन प्रतिभूति (performance security) जब्त की जा सकेगी।
7. निगम प्रशासन द्वारा अनुबन्ध से संबंधित कोई भी सूचना अनुबन्धकर्ता से कभी भी प्राप्त की जा सकेगी।
8. अनुबन्धकर्ता को संतोषप्रद कार्य पूर्ण करने के उपरान्त बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान निगम से RTGS/NEFT के माध्यम से किया जाएगा।
9. स्त्रोत पर नियमानुसार आयकर/सेवाकर की कटौती की जाएगी।
10. निविदादाता को यह लिख कर देना होगा कि उसके द्वारा अनुबन्ध अवधि में यदि इस निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड, अन्य स्वायतशाषी संस्था आदि को सामग्री की आपूर्ति की जाती है तो तद्नुसार ही निगम द्वारा कम दरों पर भुगतान किया जाएगा। इसके लिए Fall clause प्रमाण पत्र **प्रपत्र 'स'** भी संलग्न करना होगा।
11. किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्टेड फर्म निविदा प्रस्तुत करने के लिए अपात्र मानी जाएगी **प्रपत्र 'द'** संलग्न है। यदि ऐसी फर्म इस तथ्य को छिपाते हुए अपनी निविदा प्रस्तुत करती है तो उस फर्म की बोली प्रतिभूति (Bid security) कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) जब्त करते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जा सकता है।
12. **वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार** – बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :–
    (क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त

होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ;

(ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा ; और

(ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

13. **सत्यनिष्ठा संहिता** – उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, –

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।

(ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।

(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।

(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा।

(ड) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

14. **हित का विरोध** –

(1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।

(2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु उन तक सीमित नहीं है :–

(क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृतिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृतिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।

(ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप ओर सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।

(ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।

(घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जंहा उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्रवाईयों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है।

(3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,–

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।

(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।

या

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्त के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार

करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

15. **उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण** – प्रथम अपील प्राधिकारी शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान व अध्यक्ष, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन है।

1. <u>अपीलः–</u> (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अध्यधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लघंन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को,जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिनक की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व–अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्टीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्द की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप **(प्रपत्र–'य')** में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप–धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जोन का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तद्नुसार आदेश पारित करेगा जो उप–धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप–धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकरी उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधी के भीतर उक्त उप–धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था

Khyas

उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदाभिहित किसी अधिकरी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप–धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धन्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों , बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकरों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप–धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा–सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर–भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों , बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जाएगा।

(8) उप–धारा (1) और (4) के अधीन प्रात्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया–नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

2. **<u>अपील का प्ररूप</u>** – (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप **(प्रपत्र –'य')** में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

3. **अपील फाइल करने के लिए फीस** – (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

4. **अपील के निपटारे की प्रक्रिया** – (1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,–

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

16. किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर को होगा।
17. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर प्रबन्ध निदेशक का निर्णय अन्तिम होगा व अनुबन्धकर्ता को मानना होगा।

प्रबन्ध निदेशक

मैंने/हमने उपर्युक्तानुसार **"अ" से "द"** तक में वर्णित सभी शर्तों को भली–भाँति पढ़ एवं समझ लिया है। मैं/हम उपर्युक्त वर्णित सभी शर्तों की पूर्ण पालना करने के लिए सहमत है।

हस्ताक्षर निविदादाता एवं नाम

अनुमानित लागतः ₹ 3.00 लाख
बोली प्रतिभूतिः ₹ 6000.00
अंतिम तिथिः 26.12.2014

निविदा – प्रपत्र 'अ' तकनीकी निविदा

कार्य का नामः– संभाग स्तरीय जिला औषधि भण्डार गृहों के ISO Certification दिलवाने (Facilitate) संबंधी कार्य

1. निविदादाता फर्म/संस्था का नाम व पूर्ण पताः– .....
   .....
   .....
2. निविदा सूचना क्रमांक ..... दिनांक .....
3. निविदा शुल्क राशि ₹ 500/– जमा कराने का विवरणः–
   डीडी/बैकर चैक संख्या ..... दिनांक.....
   निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि ..... समय दोपहर 3.00 बजे तक।
   निविदा खोले जाने की दिनांक ..... समय सायं 5.00 बजे
4. बोली प्रतिभूति (Bid security) ₹ 6,000/– जमा कराने का विवरणः–
   डी.डी/बैंकर चैक सं0..... दिनांक .....
5. फर्म/संस्था का पंजीयन क्रमांक.....
6. फर्म/संस्था को ISO Certification का कार्य करवाने/दिलवाने के अनुभव का विवरणः–.....
   .....
   .....
7. ISO Certification कार्य हेतु विशेषज्ञ, परामर्शदाता, कार्मिकों की सूची। (संलग्न करें)

मुझे इस निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न समस्त शर्तें मंजूर है।

हस्ताक्षर निविदादाता
निविदादाता का नाम
एवं पूर्ण पता

अनुमानित लागत: ₹ 3.00 लाख
बोली प्रतिभूति: ₹ 6000.00
अंतिम तिथि: 26.12.2014

निविदा – प्रपत्र 'ब' (वित्तीय निविदा)

कार्य का नाम:– संभाग स्तरीय जिला औषधि भण्डार गृहों के ISO Certification दिलवाने (Facilitate) संबंधी कार्य

जिला औषधि भण्डार गृहों के ISO Certification कार्य के लिये वित्तीय निविदा।

1. निविदादाता फर्म का नाम व पूर्ण पता:– ....

2. दूरभाष संख्या.................................. मोबाईल नं0....................................

कार्य	दर (राशि ₹.) प्रति **DDW**
Steps for certification (ISO) **A.** Identification of infrastructural/resources gaps in District Drug Warehouses. **B.** Facilitate concerned authorities to bridge the gaps (the cost of fulfilling the gap will have to be borne by the RMSC and will not be in the scope of the financial proposal). **C.** Identify operational gaps and facilitate on-site training to staff for fulfilling these gaps. **D.** Facilitate District Drug Warehouses (DDWs) to apply for ISO certification in the concerned body (organization which provides ISO certification) and help in getting the ISO certification. **The process for facilitating the same would be-** **1.** The agency will prepare a checklist to identify Infrastructural/resources and operational gaps & will share the checklist with RMSC for necessary suggestions. 2. After incorporating the suggestions received from RMSC, checklist will be pre-tested at Jaipur and corrections if any to the checklist or the modus operandi of gap analysis will be done. 3.The team will then be sent with this checklist to all units to indentify the gaps under the categories of- (a) infrastructure/resources (b) manpower requirements	अंकों में ₹.................................. शब्दों में ₹.............................. कर यदि कोई हो तो @.............. % एवं ₹. .... कुल राशि ₹................. **Note:** The quoted price to include all related expenditures to be incurred on the said activity including one time ISO certification fee.

Kilyas

(c) operations. 4.Compilation of all the gaps, if any indentified during field visit. Gaps found under (a) and (b) will be submitted to the RMSC for corrections. (The cost of fulfilling the gaps will have to be borne by the RMSC and will not be in the scope of the financial proposal). The agency will facilitate to streamline the activities. 5. A team will be deployed at DDW to train DDW staff for identifying the areas for improvements/gap analysis through checklist including various aspects related to infrastructure, resources, process and quality. 6. The operational/process gaps will be identified by the agency and on-site training will be given to the concerned staff. Standard Operating Procedures (SOPs) will also be developed and provided wherever required to DDWs. 7. Facilitate District Drug Warehouses (DDWs) to apply for ISO certification in the concerned body (organization which provides ISO certification) and help in getting the ISO certification. 8. The operational/process gaps will be corrected by the agency, and trainings will be given on site to the concerned staff. Standard Operating Procedures (SOPs) will be developed and provided to the concerned DDWs	

मुझे निविदा (तकनीकी बिड) के साथ संलग्न समस्त शर्ते मंजूर है।

हस्ताक्षर निविदादातामय
निविदादाता का नाम
एवं पूर्ण पता

प्रपत्र – 'स'

Fall clause प्रमाण पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने ISO Certification कार्य हेतु अनुबन्ध अवधि में इस निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड अन्य स्वायतशाषी संस्था में कार्य नहीं किया है यदि इस निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर कार्य किया जाता है तो तद्नुसार ही निगम से कम दरों पर भुगतान प्राप्त करने के लिए सहमति प्रदान करता हूँ। ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

प्रपत्र –'द'

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि संस्था को ISO Certification कार्य हेतु किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम /कम्पनी द्वारा **ब्लैकलिस्ट** नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते है कि हमें किसी भी न्यायालय द्वारा सामान प्रदायगी में कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

प्रपत्र 'य'

FORM NO. 1 [See rule 83 of RTPP]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No.....of.....

Before the..... (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official Address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent (S):

   (i)

   (ii)

   (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Ground of appeal:

   .....

   .....

   ..... (Supported by an affidavit)

7. Prayer:

   .....

   .....

Place ..... Date

.....

Appellant's Signature

Kllyas

प्रपत्र 'र'

Affidavit

(on non-judicial stamp paper of ₹ 10/-)

I..... S/o ..... Aged..... yrs, residing at ..... Proprietor/Partner/Director of M/s .... do hereby solemnly affirm and declare that

(a) My/our above noted enterprise M/s ..... has been issued acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part-II by the District Industries Center ..... The acknowledgment No. is .....Dated .....and has been issued for manufacture of following items:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(b) My/our above noted acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part-II has not been cancelled or withdrawn by the Industries Department and that the enterprise is regularly manufacturing the above items.

(c) My/our enterprise is having all the requisite plant and machinery and is fully equipped to manufacture the above noted items.

Signature of proprietor /Director

Authorized Signatory with Rubber

Stamp and date

Verification

I..... S/o .....Aged ..... yrs residing at ..... Proprietor / Partner/ Director of M/s ..... verify and confirm that the contents at (a), (b) and (c) above are true and correct to the best of my knowledge and nothing has been concealed there in. So help me God.

Deponent

परिशिष्ट–ब

ISO Certification किये जाने वाले संभाग स्तरीय जिला औषधि भण्डार गृहों की सूचीः–

क्र. स.	जिला औषधि भण्डार गृह	प्रभारी अधिकारी का नाम	मोबाईल नम्बर	**Address**
1	जयपुर प्रथम	डॉ. मोहम्मद रफीक	9887027251	CM&HO Office, Sethi colony, Jaipur
2	जयपुर द्वितीय	डॉ. रघुराज सिंह	8094017004	CM&HO Office, Sethi colony, Jaipur
3	अजमेर	डॉ. मोहित देवल	9983766448	Near Janana Hospital, Railway crossing, Pushkar bypass road, Ajmer
4	भरतपुर	डॉ. सुनील कुमार शर्मा	9414021876	Behind R. B. M. Hospital, Bharatpur 328001
5	जोधपुर	डॉ. मनीष टांक	9460043277	CM&HO office, Near Jhalamand Circle, Purana pali road, Jodhpur-342001
6	उदयपुर	डॉ. राजेश बराड़िया	9314234778	Near T.B. sanitorium, Post office Badi, Udaipur
7	कोटा	डॉ.एम.के. त्रिपाठी	9414187290	Anantpura, Pathar Mandi, Kota

*जिला औषधि भण्डार, बीकानेर का ISO Certification पूर्व में ही हाने के कारण इसके स्थान पर जिला औषधि भण्डार, जयपुर द्वितीय को ISO Certification हेतु चुना गया है।